राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1904

03 जनवरी, 2018 को उत्तर के लिए

घरेलू बाज़ार में इस्पात की बिक्री में वृद्धि

1904. डॉ॰ आर॰ लक्ष्मणनः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में अवसंरचना, आवासन और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर दिए जा रहे बल के मद्देनजर घरेलू बाजार में इस्पात की बिक्री को बढ़ाने हेतु सरकार ने कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु सेल द्वारा अपनाई गई या अपनाई जाने वाली परियोजना केन्द्रित रणनीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 और सरकारी खरीद में घरेलू निर्मित लोहा और इस्पात उत्पादों को वरीयता प्रदान करने की नीति तैयार की है जिन्हें दिनांक 08 मई 2017 को अधिसूचित कर लिया गया था। इन नीतियों से अवसंरचना, आवास निर्माण और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में खपत वृद्धि समेत इस्पात क्षेत्र का विकास सुविधाजनक बनेगा।

(ग): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने आधुनिकीकरण और विस्तार के वर्तमान चरण में बार एवं रॉड और स्ट्रक्चरल्स की क्षमता को बढ़ाया है। इन उत्पादों का उपयोग निर्माण क्षेत्र में अधिक मात्रा में किया जाता है। सेल द्वारा निर्माण क्षेत्र के लिए अपनायी जा रही रणनीति में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. निर्माण हेतु अपेक्षित रि-बार्स, स्ट्रक्चरल, प्लेट की उपलब्धता बढ़ाई गई है।
2. विशेष आवश्यकता वाली परियोजनाओं के अनुकूल विशेष ग्रेडों और नए सेक्शनों यथा- पुलों के लिए भूकंपीय ग्रेड का टीएमटी, विशेष ग्रेड के प्लेट इत्यादि का उत्पादन।
3. कुशल डिजाइन और तीव्र निर्माण के लिए परियोजना परामर्शदाताओं और डिजाइनों के साथ पारस्परिक बातचीत बढ़ाई गई है।
4. बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करना ताकि उनकी आवश्यकता की पूर्ति की जा सके और इस प्रकार की जरुरतों को पूरा करने के लिए परियोजना/निर्माण कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके।
5. "सेल स्टील- गांव की ओर" नामक अभियान शुरू करना जिसके विषय के अंतर्गत इस्पात के उपयोग के फायदों के बारे में ग्रामीण जनता को शिक्षित करने के लिए ग्रामीण कार्यशालाएं संचालित करना तथा अंतिम उपभोक्ताओं के मध्य सेल टीएमटी बार और सेल ज्योति (गेल्वेनाइज्ड शीट) के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना शामिल है। कार्यशालाओं में इस्पात के उपयोग और खपत से संबंधित लोगों के विभिन्न समूहों द्वारा भाग लिया जाता है, यथा- राजमिस्त्री, स्थानीय भवन नर्माता, स्थानीय क्षेत्र के ठेकेदार, जिला परिषद सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, ब्लॉक विकास अधिकारी, डीलर इत्यादि।
6. भवन निर्माता और अन्य निर्माण संबंधित ग्राहकों की जरुरतों को पूरा करने के लिए एक व्यापक डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर नेटवर्क की स्थापना करना।

******